I.I.F.-I (एकीकृत जाँच फार्म-I)

FIRST INFORMATION REPORT
(Under Section 154 Cr.P.C.)
प्रथम सूचना रिपोर्ट
(धारा 154 दंड प्रक्रिया सहिंता के तहत)

1. **District (जिला):** STATE VIGILANCE BUREAU **P.S. (थाना):** SVB GURGAON **Year (वर्ष):** 2022

FIR No. (प्र.सू.रि. सं.): 0004 **Date and Time of FIR (प्र.सू.रि. की दिनांक और समय):** 08/03/2022 20:39 hrs

2.

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धारा(एँ))
1	PREVENTION OF CORRUPTION ACT, 1988	7

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

1 **Day (दिन):** Intervening Days **Date from (दिनांक से):** 12/08/2020 **Date To (दिनांक तक):** 08/03/2022

Time Period (समय अवधि): **Time From (समय से):** 00:00 hrs **Time To (समय तक):** 00:00 hrs

(b) **Information received at P.S. (थाना जहां सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 08/03/2022 **Time (समय):** 18:20 hrs

(c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ):** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 018 **Date and Time (दिनांक और समय):** 08/03/2022 20:01 hrs

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** Written

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**

1. (a) **Direction and distance from P.S. (थाना से दूरी और दिशा):** SOUTH, 40 Km(s) **Beat No. (बीट सं.):**

(b) **Address (पता):** थाना बिलासपुर गुरूग्राम,

(c) **In case, outside the limit of this Police Station, then Name of P.S. (यदि थाना सीमा के बाहर है तो थाना का नाम):**

District (State) (जिला (राज्य)):

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**

(a) **Name (नाम):** सुरेश चंद

(b) **Father's Name (पिताका नाम):** श्री राम सिंग यादव

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष):** 01/01/1977 (d) **Nationality (राष्ट्रीयता):** INDIA

(e) **UID No. (यूआईडी सं.):**

(f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**

Date of Issue (जारी करने की दिनांक): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

(g) **ID Details (Ration Card, Voter ID Card, Passport, UID No., Driving License, PAN) (पहचान विवरण (राशन कार्ड ,मतदाता कार्ड ,पासपोर्ट, यूआईडी सं., ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड))**

S. No. (क्र.सं.)	ID Type (पहचान पत्र का प्रकार)	ID Number (पहचान संख्या)

(h) **Occupation (व्यवसाय):**

(i) **Address (पता):**

S.No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	Present Address	गांव मोकलवास, BILASPUR, GURUGRAM, HARYANA, INDIA

2	Permanent Address	गांव मोकलवास, BILASPUR, GURUGRAM, HARYANA, INDIA

(j) **Phone number (दूरभाष सं.):** **Mobile (मोबाइल सं.):**

7. **Details of known / suspected / unknown accused with full particulars (ज्ञात / संदिग्ध / अज्ञात अभियुक्त का पूरे विवरण सहित वर्णन):**

S. No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Present Address(वर्तमान पता)
1	उप निरीक्षक नरेन्द्र			1. थाना बिलासपुर गुरूग्राम, BILASPUR,GURUGRAM,HARYANA,INDIA
2	मुख्य सि0 आजाद सिंह			1. थाना बिलासपुर गुरूग्राम, BILASPUR,GURUGRAM,HARYANA,INDIA

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**

9. **Particulars of properties of interest (संबन्धित सम्पत्ति का विवरण):**

S. No. (क्र.सं.)	Propertty Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य (रु में))

10. **Total value of property (In Rs/-) (सम्पत्ति का कुल मूल्य(रु में)):**

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण सं., यदि कोई हो):**

S. No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.डी.प्रकरण सं.)

12. **First Information contents (प्रथम सूचना तथ्य):**

सेवा मे श्रीमान शत्रुजीत कपूर निर्देशक, राज्य सतर्कता ब्युरो हरियाणा विषेय : इन्स्पेक्टर जय प्रकाश यादव थाना बिलासपुर गुरूग्राम पुलिस हरियाणा द्वारा मुझसे RS 800000(आठ लाख) रूपेय जबरदस्ती एठ लेने व भ्रस्टाचार करने पर इन्सपेक्टर जय प्रकाश यादव व इनके साथी पुलिस कर्मी जिन्होंने मिलकर भ्रस्टाचार किया व मेरे परिवार को मानसिक यातनायें दी जाने पर उन सभी के विरूध सिकायत पत्र । महोदय मै सुरेश चंद पुत्र श्री रामसिंग यादव गाँव मोकलवास तहसील मानेसर गुरूग्राम हरियाणा का निवासी हूँ । मैंने 1990 से 2012 तक CRPF में 22 साल 6 महीने रहकर देश की सेवा की फिर VRS लेकर अभी प्राईवेट कम्पनी मे नोकरी कर रहा हूँ । साल 2020 मे मेरा मेरे पिता व भाई के साथ हमारी पूर्वजों की जमीन के बँटवारे मे विवाद सरूँ हुआ जिसके चलते आए दिन मेरे पिता और भाई ने मेरे व मेरे बच्चों के खिलाफ झूठी सिकायते देने लगे उस समय हमारे इलाके के पुलिस स्टेशन बिलासपुर गुरूग्राम पुलिस हरियाणा के SHO इन्सपेक्टर जय प्रकाश यादव थे । इन्सपेक्टर जय प्रकाश यादव ने अपने पद का गलत फायदा उठाकर मेरे परिवार के खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज कर दिया । उसके बाद हमें बार – बार थाने मे बुलाकर पहले तो बहुत ज्यादा परेसान व डराया धमकाया और फिर उसके बाद पैसों की माँग की ओर जब पैसे देने मे थोडी देरी हुई तो फिर से एक ओर झूठा मुकदमा दर्ज कर दिया । फिर जब मैंने पूछा कि आपने हनारे खिलाफ एक ओर झूठा मुकदमा दर्ज कर दिया तो जवाब में ये कहा कि “तूने पैसे देने में देरी की इसी लिए तुझे सबक सिकाहने के लिए मुकदमा क्यों दर्ज कर दिया” । जब मैंने इस दुसरे मुकदमे को खारिज करने को कहा तो बोले “अब इसके अलग से पैसे देने होंगे तभी कुछ काम होगा और अगर इस बार पैसे देने में फिरसे देरी की तो एक ओर मुकदमा तैयार है” दोबारा पैसे देने के कुछ दिन बाद मेरे बेटे और मेरे भाई के बीच जमीन को लेकर गाँव के बीच मे झगडा हो गया तो उसमें एक ओर मुकदमा दर्ज हो गया । पर इस मुकदमे में जो धारायें लगनी थी उनके अलावा जानबूज कर ज्यादा धारायें जोड दी गयी और मेरे पूरे परिवार का नाम उस मुकदमे मे डाल दिया जिनको झगडे से दूर दूर तक कोई सम्बंद नहीं था । यह सब इन्सपेक्टर जय प्रकाश यादव ने एक साजिस के तहत किया ताकि मुझसे ओर ज्यादा पैसे वसूल सके । यह तीसरा मुकदमा दर्ज करने के बाद इन्सपेक्टर जय प्रकाश यादव ने बार – बार मुझ पर पैसे देने के लिए दबाव बनाना सरूँ कर दिया फिर एक दिन अपने थाने से कुछ पुलिस वालों को मेरे घर भेजा जिस समय घर पर सिर्फ मेरी पत्नी और मेरा छोटा बेटा था । जब वो मेरे घर आए तो अपने आप मेरे घर का दरवाजा जो बंद था उसको जबरदस्ती खोलकर घर मे घुस गये और मेरी पत्नी ओर मेरे छोटे बेटे को 2 घंटे तक मेरे ही घर मे बंधक बना के रखा और पैसे माँगने लगे और पैसे बिना लिए जब तक नहीं गये जब तक उनको कुछ पैसे नही मिले । जब उनको पैसे मिल गये तो वो वहाँ से चले गये ओर यह बोले की अपने छोटे बेटे को थाने भेज देना SHO साहब कुछ बात करेंगे । यह पूरी घटना हमारे घर लगे CCTV कैमरा मे record हो गयी जिसकी फुटिज अभी भी मेरे पास है । इस घटना के बाद इन्सपेक्टर जय प्रकाश यादव ने मुझ से 7 लाख रूपये की माँग की ओर मेरे बडे बेटे को बंद कर दिया और कहा कि “अगर जल्द ही पैसे नही दिए तो तेरे छोटे बेटे को भी बंद कर दूँगा और फिर तुम सबको इसी मुकदमे में बंद कर दूँगा अगर बचना है तो जल्द ही सारे पैसे दे देना । “फिर मैने मजबूर होकर इन्सपेक्टर जय प्रकाश को 4 लाख रूपये एक बार और 2 लाख एक बार फिरसे दिए । अभी तक इन्सपेक्टर जय प्रकाश यादव और इनके साथी पुलिस कर्मी जो इस पूरे भ्रस्टाचार मे सभी ने आपस

मिलकर मुझसे कुल 8 लाख रूपये वसूल चुके है । जिसके सबूत के टोर पर मेरे पास audio recording भी है जब बडा बेटा बेल पर बाहर आया तब उसे पता चला कि इन सबने मिलकर उसके पिता की जीवन भर की कमाई को हडप लिया है तो उसने 2020 september के महीने में इन सभी भ्रस्टाचारी पुलिस कर्मियों की सिकायत सभी उच्च पुलिस अधिकारियों को व जितने भी विभाग है जो भ्रस्टाचार को रोकने व भ्रस्टाचार करने वालों के खिलाफ कार्यवाही करते है उनको दी और cm window Haryana को भी दी (CMOFF/N/2020/068164) उस सिकायत की एक कॉपी और जिन जिन अधिकारी व विभागों को अभी तक भेजी गयी है उनकी भारतीय पोस्ट स्लिप की कॉपी सलगंन है (A-1) I सिकायत देने के तुरन्त बाद से ही मुझे व मेरे परिवार को धमकियाँ मिलने लगी की अपनी दी हुई सिकायत को जल्द ही वापिस करलो नही तो बहुत बुरा होगा । लेकिन इस बार बिना डरे हमने उपनी सिकायत वापिस नही ली इस उम्मीद मे की इन भ्रस्टाचारी पुलिस कर्मियों को सजा जरूर मिलेगी । परन्तु केवल 1 महीने के अंदर मेरे बेटे के खिलाफ एक ओर झूठा मुकदमा दर्ज कर दिया इन्सपेक्टर जय प्रकाश ने । उस झुठे मुकदमे को रध करवाने के लिए मैंने हर बडे अधिकारी को सारी बात बताई पर किसी ने नहीं सुनी । मैंने सभी बडे अधिकारीयों को पत्र लिखकर विनती की कि जब तक मेरे द्वारा दी गयी भ्रस्टाचार की सिकायत की इंक्वरी पूरी होती है तब तक इन्सपेक्टर जय प्रकाश को किसी दुसरे थाने मे ट्रान्सफर कर दिया जाए और मेरे ऊपर जो झूठा मुकदमा दर्ज किया गया है उसकी किसी दूसरे पुलिस स्टेशन से जाँच कराई जाए लेकिन किसी ने भी मेरी इस बात पर भी कोई ध्यान नहीं दिया । जिसको नतीजा एक ओर झूठे मुकदमे के रूप मे मुझे ओर मेरे परिवार को भूगतना पडी । अब यह झूठा मुकदमा जो इन्सपेक्टर जय प्रकाश यादव ने हमसे बदला लेने की भावना मे दर्ज किया था । वह माननीय Punjab and Haryana High Court में Quashing के लिए डाला हुआ है जिसमें 06.12.2021 क हरियाणा सरकार को आर्डर हो चुके है । मेरे बेटे द्वारा 2020 September मे दी गयी सिकायत की जाँच सबसे पहले ACP PATAUDI श्री Veer singh गुरूग्राम पुलिस हरियाणा का दी गयी जो इन्सपेक्टर जय प्रकाश यादव के उच्च अधिकारी है हमारे इलाके के और इन्सपेक्टर जय प्रकाश यादव के जीजा श्री राजीव कुमार (ACP Udyog vihar gurugram poice Haryana) है उनके Batchmate है । जिस कारण से श्री वीर सिंह जी ने बडे आसानी से इन्सपेक्टर जय प्रकाश यादव को निर्दोष करार दे दिया । जबकि हमारे द्वारा इनके भ्रस्टाचार से संबंदित ठोस सबूत के टोर पर एक CD दी गयी जिसमें उनकी आवाज की रिकार्डिंग और विडियो थी पर उनसभी सबूतों का कोई जाँच नही की गयी । आखिर मे मुख्य आरोपी इन्सपेक्टर जय प्रकाश यादव को बिना किसी जाँच पडताल करे ही निर्दोष करार दे दिया ओर कुल 4 आरोपियों में से केवल 2 आरोपियों की विभागीय जाँच सरूँ करने के लिए आगे रिपोर्ट भेजी गयी । जब ACP श्री वीर सिह ने विभागीय जाँच करने के लिए रिपोर्ट आगे बडे अधिकारियो को भेजी तो मैने एक ओर सिकायत पत्र सभी उच्च अधिकारियो को लिखा जिसमे मैने पहली जाँच मे जो हुआ और जो सारे सबूतो को उनदेखा किया गया उसके बारे मे बताया और विनती की थी की सभी 4 आरोपियो की विभागीय जाँच होनी चाहिए लेकिन मेरे द्वारा दी गयी इस सिकायत पत्र को भी पहले दिए गये पत्र की तरह ही उनदेखा कर दिया । तब तक इन्स्पेक्टर जय प्रकाश यादव हमारे ही इलाके का SHO था ओर मुझे बार बार धमकियाँ मिल रही थी । जब विभागीय जाँच सरुँ हुई तब इन्स्पेक्टर जय प्रकाश यादव ने अपना ट्रान्सफर हमारे पुलिस स्टेशन बिलासपुर गुरुग्राम जिले से नारनौल जिले मे करा लिया इस दोरान इन्स्पेक्टर जय प्रकाश काफी समय के लिए निलम्बित भी रहा । यह सूचना मुझे RTI के माध्यम से प्राप्त हुई । विभागीय जाँच की जिम्मा ACP Traffic East श्री रमेश कुमार को दिया गया । जब श्री रमेश कुमार ACP ने मुझे ओर आरोपी नरेंद्र तथा आजाद को अपने कार्यालय मे बुलाया बयान देने के लिए तब नरेंद्र ओर आजाद दोनो ने अपना जुर्म कबूला कहा कि इन्होने जो बी किया इन्स्पेक्टर जय प्रकाश के कहने पर किया तब श्री रमेश कुमार ACP ने मुझे '' इनको माफ करने के लिए बोल और कहा कि आप इनको माफ करदो इन्होने बहुत गलत काम किया है इन्स्पेक्टर जय प्रकाश के कहने पर लेकिन आप इनके परिवार की तरफ देखते हुए इनको माफ कर दो ।'' इस पर मैने जवाब मे कहा की मैं इनको माफ कर दुँगा पर इन्स्पेक्टर जय प्रकाश ने जो हमारे साथ किया है उनको नही उन्होने मेरे व मेरे परिवार के साथ बहुत बुरा वर्ताव किया है । उन्होने हमारे भाई-भाई व पिता-बेटे के पारिवारिक झगडे को आधार बना कर मुझसे मेरे जीवन की सारी कमाई व पूँजी को छीन लिया और ये सब करने के बाद भी उनको बिल्कुल भी अहसास नही हुआ है की उन्होने मेरे परिवार के साथ बहुत गलत किया है अगर इन्सपैक्टर जयप्रकाश स्वमं मुझसे आके बोलेगा की उनसे उनजाने मे भूल हो गई तो सायद मै उनको भी माफ कर दु । ACP श्री रमेश कुमार जी से मिलकर मुझे लगा की कोई तो है पुलिस विभाग मे जो हमारी मदद करेगा इन्सपेक्टर जयप्रकाश जैसे भ्रष्ट पुलिस कर्मी को सजा दिलाने मे । लेकिन ऐसा ना हो सका लभभग 1 साल के बाद मुझे ये पता चला रहा है कि श्री रमेश कुमार ACP ने भी सभी दोसियो को निर्दोस घोसित कर दिया अपनी रिपोर्ट मे । जब मैने RTI से जाँच के बारे मे सूचना माँगी तो पहले तो मुझे कोई सूचना ही नही दी गयी । जब मैने प्रथम अपील की तो मुझे जवाब मे मिलता है की मेरे द्वारा दी गयी सबूत की CD जिसमे 1 audio recording 47 minutes और दुसरी 49 minutes की है जो इनके अपराध के ठोस साक्ष है उसकी जाँच ही नही कराई गयी । बिना किसी जाँच के ही इन सभी को निर्दोष बता दिया गया । RTI के जवाब की कॉपी सलंगन है ('A-2') । अभी विभागीय जाँच की final report आयी भी नही थी की इन्स्पेक्टर जय प्रकाश यादव ने 1 महीने पहले ही अपना ट्रान्स्फर वापिस नारनौल जिले से गुरुग्राम जिले मे करा लिया ओर फिरसे हमारे ही इलाके के पुलिस स्टेशन बिलासपुर मे थाना प्रभारी बन गये । और final report आते ही मेरे खिलाफ एक ओर झूठा मुकदमा दर्ज कर दिया । जबकि उस दिन की पुरी घटना सरुँ से आखिर तक हमारे घर पर लगे cctv मे record हो गयी है । उसके बावजूद भी हमारे खिलाफ बिल्कुल ही झूठी सिकायत का मुकदमा दर्ज कर दिया ताकि मेरे परिवार को यातना दे सके । और जो हमने उनके खिलाफ भरस्टाचार की सिकायत दी थी उसका बदला ले सके । आए दिन मैं अखबार मे पडता हूँ की देश/प्रदेश मे corruption के लिए No Tolerance policyअपनाई जा रही है और जो भरस्टाचार करते है उनको कडी से कडी सजा दी जाएगी । लेकिन मेरे द्वारा दी गयी सिकायत (A1) पर पिछले 1.5 वर्ष से जरा सी भी कार्यवाही नही हुई है । ऊपर से मुझे ही डराया व धमकाया जा रहा है । हमारे प्रदेश के माननिये मुखमंत्री श्री मनोहर लाल खटर जी ने tweet कर कहा था की भरस्टाचार के विरुध Haryana cm window मे सिकायत देने पर अवस्य कार्यवाही होगी परंतु मेरी सिकायत (CMOFF/N/2020/068164) पर ठोस सबूत देने पर भी कोई कार्यवाही नही हुई और मेरी सिकायत को ही रध कर दिया गया केवल गुरुग्राम पुलिस की जाँच के आधार पर जोकी अपने विभाग के कर्मियो को बचाने का काम कर रहे है । यह जाँच सरुँ से ही आरोपियो को बचाने के लिए बस एक ढोघ था । ताकि हम ये ना कहे कि हमारी सिकायत पर कोई जाँच पडताल ही नही हुई । इन्स्पेक्टर जय प्रकाश यादव पहले ही बोलते थे की उनकी पहुँच बहुत बडे-बडे अधिकारी और लोगो तक है उसका कोई कुछ नही बिगाड सकता है । अब तो मुझे भी यह विस्वास होने लगा है की सच मे ही इन्स्पेक्टर जय प्रकाश यादव की पहुँच बहुत ऊपर तक है तभी तो इतने सारे सबूत होते हुए भी उनके ऊपर कोई कार्यवाही ही नही हुई । बिना किसी जाँच के ही उनको निर्दोष करार दे दिया गया । अगर एसे ही चलता रहा तो इन्स्पेक्टर जय प्रकाश यादव जैसे पुलिस कर्मी देश/प्रदेश को लूट खायेगे ओर आम जनता इसका भुगतान करती रहेगी । और इनको ओर ज्यादा भरस्टाचार करने के लिए बढावा मिलता रहेगा । अभी तक ना जाने कितने मेरे जैसे परिवार इनका सिकार हो चुके है । अगर अभी भी इन पर किसी प्रकार की कानूनी कार्यवाही नही की गयी तो ये सब इसी तरह से भरस्टाचार करते रहेगे । अत: श्रीमान से निवदेन है की इन्स्पेक्टर जय प्रकाश व इनके सभी साथी जिन्होने मिलकर भरस्टाचार किया है उन सभी के

ऊपर सख्त से सख्त कार्यवाही की जाए । और मेरे द्वारा दी गयी सिकायत की जाँच गुरुग्राम जिले से ना कराकर किसी दूसरे जिले के विभाग से कराई जाए जो सिर्फ भरस्टाचार से संबंदित सिकायतो की जाँच करते है । आखिर मे मैं यह बताना चाहता हूँ की अगर मेरे द्वारा दी गयी भरस्टाचार की सिकायत की जाँच किसी ईमानदार अधिकारी से कराई जाने के बाद भी झूठी मिलती है तो मैं अपने जीवन भर की पेन्शन जो मुझे 22 साल देश की सेवा करने के बाद कैंद्र सरकार द्वारा दी जाती है उसको प्रधानमंत्री/मुख्यमंत्री राहत कोस मे दान कर दुँगा । मैं यह सिकायत पत्र भारतीय पोस्ट और email के जरिए आपको भेज रहा हूँ । धन्यवाद , SD सुरेश चंद गाँव मोकलवास, तहसील मानेसर जिला गुरुग्राम , हरियाणा -122413 Mob: 8130381930 कार्यवाही पुलिस – एक पत्रं क्रमांक 2956 (I-2) /SVB (H) पंचकूला दिनांक 24.02.2022 पत्रं क्रमांक 263 दिनांक 28.02.2022 को उप महानिरीक्षक कार्यलय गुरुग्राम मे प्राप्त हुआ जो मन उप पुलिस अधीक्षक राज्य चौक्सी ब्यूरो गुरुग्राम को अनुसंधान दर्ज करने कार्य वाही के लिए प्राप्त हुआ जिसके शाखा शिकायत सुरेश चन्द गाँव मोकलवास तहसील मानेसर जिला गुरुग्राम मय 2 CD है शिकायत का अध्ययन करने पर व पत्रं अपरोक्त मे SI नरेन्द्र HC आजाद सिहँ थाना विलास पुर ने शिकायत मे 8 लाख रूपये रिशवत के लेने बारे आरोप लगाये है जो दरखास्त के मजबून से जुर्म 7 PC Act का जाने पर लिहाजा तहरीर हजा बराये कायमी मुकमा बदस्त Ct. अनूप सिहं 1045/GGM के हाथ भेजी जा रही है जो बाद करके अभियोग दर्ज अभियोग की स्पैशल रिपोर्ट ईलाका मैजिस्टेट साहब व उच्च अधिकारीयो कि सेवा मे भिजवाई जाये । अजः- थाना रा0चौ0ब्यूरो गुरुग्राम , R.K. DSP P.S. SVB GGM DT 8-3-2021 TIME – 6.30 PM अज थाना- आमदा तहरीर पर मुकदमा हजा बा जुर्म मजकुर दर्ज रजिस्टर किया गया । FIR की प्रतिया CCTNS द्वारा तैयार की गई । जो सेवा मे ईलाका मैजिस्ट्रेट साहब व अफसरान बाला को नियमानुसार भेजी जायेगी एक प्रति FIR बतौर स्पैशल रिपोर्ट इलाका मजिस्ट्रेट साहब गुरुग्राम बदस्त सि0 अनुप सिह न0 1045/गुरुग्राम के भेजी जा रही है । मुकदमा हजा की असल मिशल पुलिस मय आमदा तहरीर बराये तपतीश DSP रमेश कुमार रा0 चौ0 ब्यूरो गुरुग्राम के पास भेजी जा रही है । आरिन्दा सि0 अनुप सिह न0 1045/गुरुग्राम के हवाले की गई । नोट- श्री मान जी, CCTNS मे तकनीकी खराबी के कारण CCTNS मे प्र0 सु0 रिपोर्ट के हालात दर्ज नही किये गये और ना ही रपट दर्ज कि गई अत अब CCTNS चालु होने पर प्र0 सु0 रिपोर्ट की रपट दर्ज की गई है ।

13. **Action taken: Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.**
(की गयी कार्यवाही : चूंकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका मद सं. 2 में उल्लेख धारा के तहत है.):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जांच के लिए लिया गया): / or (या)**

(2) **Directed (Name of I.O.) (जांच अधिकारी का नाम):** Ramesh Kumar **Rank (पद):** Dy. SP (Deputy Superintendant of Police)

No. (सं.): RR168 **to take up the Investigation (को जांच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or (या)**

(3) **Refused investigation due to (जांच के लिए): or (के कारण इंकार किया या)**

(4) **Transferred to P.S. (थाना): District (ज़िला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित).

F.I.R. read over to the complainant / informant, admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant /informant, free of cost. (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गयी, सही दर्ज हुई माना और एक कॉपी निशुल्क शिकायतकर्ता को दी गयी)

R.O.A.C. (आर.ओ.ए.सी.)

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Name (नाम): KULDEEP SINGH

Rank (पद): SP (Superintendent of Police)

No. (सं.): IPS

14. **Signature / Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर /अंगूठे का निशान)**

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused: (If known / seen)

(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण: (यदि ज्ञात / देखा गया))

S. No. (क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date / Year Of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height (cms) (कद (से.मी.))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	01/01/1972				**Is pox pitted:** Yes
2	Male	01/01/1982				**Is pox pitted:** Yes

Deformities / Peculiarities (विकृतियाँ / विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eye (आँखें)	Habit(s)(आदतें)	Dress Habit (s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language/Dialect (भाषा/बोली)	Place of (का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (लुकोदेर्मा(सफ़ेद धब्बे))	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है)